भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

**तारांकित प्रश्न सं. 224*

09 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ**

विषयः किसानों की आत्महत्याओं पर नियंत्रण हेतु नीति

224. श्री कानुमुरू रघु राम कृष्ण राजूः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को किसानों की आत्महत्याओं के कारणों का पता लगाने हेतु किसानों की आत्महत्याओं संबंधी एक राष्ट्रीय नीति बनाने का सुझाव दिया है तथा उनकी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने और उनके कल्याण हेतु एक समग्र दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

<u>'किसानों की आत्महत्याओं पर नियंत्रण हेतु नीति' के संबंध में दिनांक 09.07.2019 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 224 के भाग (क) से (ग) के संबंध में उल्लिखित विवरण</u>

(क) एवं (ख): सिटीजन रिसोर्स एंड एक्सन इनीसिएटिव (क्रांति) बनाम गुजरात राज्य और अन्यों के मामले में, कृषि कार्य में लगे व्यक्तियों की आजीविका की सुरक्षा के लिए संबंध में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न उपायों/स्कीमों के बारे में एटार्नी जनरल द्वारा दिए जा रहे वक्तव्य की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 6 जुलाई, 2017 के अपने आदेश में कहा कि इस तरह के मुद्दों का समाधान रातों-रात नहीं किया जा सकता है और यह न्यायोचित होगा कि एटार्नी जनरल इन स्कीमों को समुचित ढंग से तैयार करने के लिए समय लें। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार यह निर्धारित करेगी कि इस प्रयोजनार्थ क्या ऐसा करना उचित होगा यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाएंगे।

(ग): कृषि, राज्य का विषय होने के कारण है। राज्य सरकारें भावी योजनाएं तैयार करती हैं और कार्यक्रमों//स्कीमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं। भारत सरकार, विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। सरकार, पूर्ववर्ती उत्पादन केंद्रित नीति के स्थान पर आय केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने पर फोकस करके कृषि क्षेत्र का पुनर्गठन कर रही है। किसानों के लिए अधिक लाभ अर्जित करने की दृष्टि से इसका फोकस अधिक उत्पादकता प्राप्त करना, खेती की लागत में कमी लाना और उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त करना है। सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की सूची अनुबंध पर दी गई है।

लो.स.ता.प्र.सं.224

अनुबंध

सरकार की कार्यनीति खेती को व्यवहार्य बनाते हुए किसानों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग विभिन्न कार्यकलापों और स्कीमों के माध्यम से सीधे किसानों को लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

i. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण से संबंधित प्रमुख फ्लैगशिप स्कीम का कार्यान्वयन करना ताकि उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

ii. "प्रति बूंद अधिक फसल" पहल जिसके तहत जल के ईष्टतम उपयोग के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

iii. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) जिसके अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है

iv. किसानों को इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन व्यापार मंच उपलब्ध कराने के लिए ई-नाम की शुरूआत की गई है।

v. जोखिम कम करने के लिए फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए खरीफ 2016 मौसम से एक फसल बीमा योजना नामत: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की गई। यह योजना विशेष मामलों में फसलोपरांत जोखिमों सहित फसल चक्र के सभी चरणों के लिए बीमा कवर प्रदान करती है और किसानों को बहुत कम प्रीमियम अंशदान देना पड़ता है।

vi. ''हर मेढ़ पर पेड़'' के अंतर्गत अतिरिक्त आय के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करके बांस को वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया है। गैर-वन्य सरकारी भूमि के साथ-साथ निजी भूमि पर मूल्य संवर्धन और उत्पाद विकास पर बल देते हुए बांस रोपण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरूआत की गई है।

vii. किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने 2018-19 मौसम से सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत से कम से कम 150 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

viii. किसान अनुकूल कार्यकलापों को गति प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम "प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)" का अनुमोदन किया है। योजना का उद्देश्य केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों के उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। किसानों की आय को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाया गया यह एक अभूतपूर्व कदम है और यह किसानों के कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

ix. मधुमक्खी पालन कार्यक्रम को परागण के जरिए फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है।

x. गोवंशीय दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि और किसानों के लिए दूध उत्पादन को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यान्वित किया गया है।

xi. पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाने और आनुवंशिक सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यान्वित किया गया है।

xii. मात्स्यिकी क्षेत्र में उच्च क्षमता को देखते हुए, अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके बहु आयामी कार्यकलापों के साथ नीली क्रांति का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

xiii. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ किसानों को अधिक से अधिक संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार 3 लाख रूपए के अल्पावधि फसल ऋण पर किसानों को ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट देती है। इस समय किसानों को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध है जो शीघ्र अदायगी पर 4 प्रतिशत कम हो जाता है।

xiv. सरकार ने कृषि क्षेत्र की और ऋण के प्रवाह के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है, बैंक लगातार वार्षिक लक्ष्य को पार कर रहे हैं। वर्तमान वर्ष का कृषि ऋण प्रवाह लक्ष्य 13.50 लाख करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है।

xv. इसके अलावा, ब्याज छूट स्कीम 2018-19 के तहत प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को राहत दिए जाने के लिए पुनसंरचित राशि पर एक वर्ष के लिए बैंकों को ब्याज पर 2 प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था जारी रहेगी। किसानों द्वारा अपने उत्पादों को मजबूरी में बेचने से रोकने और परक्राम्य रसीदों पर गोदामों में अपने उत्पादों को भंडारित करने संबंधी

बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ किसान क्रेडिट कार्ड धारक छोटे एवं सीमांत किसानों को अगले 6 माह की अवधि हेतु इसी दर पर फसलोपरांत ऋण उपलब्ध होंगे।

xvi. सरकार ने पशुपालन और मात्स्यिकी से संबंधित कार्यकलाप करने वाले किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का अनुमोदन किया है और ऐसी श्रेणियों के किसानों को भी ब्याज छूट सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

xvii. देश भर के सभी किसानों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने एक नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना यथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शुरू की है ताकि उन्हें अपनी घरेलू जरूरतों के साथ-साथ कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना का लक्ष्य उच्च आय वर्ग से संबंधित कतिपय अपवर्जनों के अध्यधीन किसानों को 2000 रुपये की चार माह के अंतराल पर तीन किस्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान करना है। इस योजना के तहत लगभग 14.5 करोड़ किसानों को कवर किए जाने का अनुमान है।

xviii. सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के प्रयोजनार्थ इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए एक अन्य नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है क्योंकि उनके पास ऐसी कोई बचत नहीं होती है कि वे अपनी आजिविका का साधन समाप्त होने पर वृद्धावस्था में अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। इस स्कीम के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पात्र लघु और सीमांत किसानों को प्रति माह न्यूनतम 3 हजार रूपए की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में पहले तीन वर्षों में लगभग 5 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है, इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। सरकार ने मार्च, 2022 तक इस योजना के लिए 10774.50 करोड़ रूपए के बजटीय प्रावधान को मंजूरी दी है।

*****